प्रधान कार्यालय :
डा.पे.सं. 88,
मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
पांडेश्वर,
मंगलूरु - 575 001.
कर्नाटक राज्य

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

Head Office :
P.B. No. 88,
Mangaladevi Temple Road,
Pandeshwar,
MANGALURU - 575 001.
Karnataka State

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक *A Premier Public Sector Bank*

निवेशक सेवा विभाग INVESTOR SERVICES DEPARTMENT

संदर्भ Ref. :नि.से.वि.ISD/177/2017-18 **दिनांक Date: 1st अगस्त August 2017**

To, **BSE Ltd,** Corporate Relationship Department Ist Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street, Fort MUMBAI - 400 001 **http://listing.bseindia.com–Listing Centre** Ref.: Code No.532179	To, The Manager Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI - 400 051 **https://www.connect2nse.com/LISTING/-NEAPS** Symbol: CORPBANK

महोदय Sir,

Sub.: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank.
Ref.: Our letter No. ISD/152/2017-18 dated 17.07.2017.

******

This is to inform that an Extraordinary General Meeting of shareholders of the Bank will be held on Thursday, 7th September 2017 at 10.30 A.M. at Mangaluru. We are enclosing herewith a copy of Notice of the EGM for uploading on the exchange website.

11.08.2017 (Friday) has been fixed as the Record/Cut-off date to consider the names of the shareholders entitled to participate in the Election, i.e. to nominate and contest for election of two Shareholder Directors. Thursday, 31.08.2017 has been fixed as the Cut-off date for participation in Remote E-voting and voting by poll on the business of the meeting as stated above.

This information is furnished under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Yours faithfully,

(एस.के. दाश S.K. Dash)
उप महाप्रबंधक (कंपनी सचिव)
Deputy General Manager (Company Secretary)

संलग्न Encl.: यथोक्त as above

असाधारण महा सभा की सूचना

Notice for Extra Ordinary General Meeting

7 सितंबर 2017, मंगलूरु

7TH SEPTEMBER 2017, MANGALURU

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
मंगलूरु – 575 001

Corporation Bank

Head Office : Mangala Devi Temple Road,
Mangaluru – 575 001

विषय सूची
CONTENTS

पृष्ठ संख्या
Page No.

सूचना	3
NOTICE	4
टिप्पणियाँ	5
NOTES	6
व्याख्यात्मक कथन	19
EXPLANATORY STATEMENT	20
नामांकन फार्म	27
NOMINATION FORM	28
प्रॉक्सी फार्म	37
PROXY FORM	38

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का कैलेंडर/Important Calendar of Events:

चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों की पात्रता जानने की अंतिम तिथि/Cut-off Date for ascertaining the Shareholders entitled to participate in the Election	शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017/Friday, 11th August, 2017
नामांकन फॉर्म और व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचन पत्र को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/Last date for submission of Nomination Forms and 'Personal Information, Declaration and Undertaking' on or before	बुधवार, 23 अगस्त, 2017 को 5.00 बजे शाम 5.00 p.m., Wednesday, 23rd August, 2017
नामांकन की संवीक्षा/Scrutiny of Nominations	गुरुवार, 24 अगस्त, 2017/Thursday, 24th August, 2017
प्रॉक्सी फोर्म और अधिकृत प्रतिनिधित्व को नियुक्त करने के संबंध में संकल्प/Last date & time of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorized Representatives	शनिवार, 2 सितंबर, 2017 को 5.00 बजे शाम 5.00 p.m., Saturday, 2nd September, 2017
असाधारण आम बैठक की तिथि और समय Date and time of Extra Ordinary General Meeting	गुरुवार, 7 सितंबर, 2017 को 10.30 बजे सुबह Thursday, 7th September, 2017, at 10.30 a.m.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा **गुरुवार, 7 सितंबर, 2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे,** सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूरु 575 001, **कर्नाटक राज्य** में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगाः

मद सं. 1:

केंद्र सरकार को छोड़कर बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशक निर्वाचित करना, जिनके विधिमान्य नामांकन निम्नांकित संकल्प पारित करने के द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद **''बैं. वि. अधिनियम''** कहा गया है) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (इसके बाद **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(3)(i), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 (इसके बाद **'योजना'** कहा गया है) तथा कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (इसके बाद **'विनियम'** कहा गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद **'भारिबैंक अधिसूचना' कहा गया है तथा इसके अतिरिक्त संशोधन यदि कोई हो**) की अधिसूचना सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई 2011 तथा सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं. 39/29.39 .001/2016-17 दिनांकित 24 नवंबर 2016 के साथ यथापठित अधिसूचना सं.डीबी ओडी सं.बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 और 47/29.39.001/2007-08 दोनों दिनांकित 1 नवंबर, 2007 और 25 मार्च 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के साथ यथापठित भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ सं. 16/83/2013-बीओ.आई दिनांकित 03 सितंबर 2013, एफ सं. 16/51/2012-बीओ.आई दिनांकित 28 अप्रैल, 2015 और दिनांकित 20 जुलाई, 2016 (इसके बाद **'भारत सरकार दिशानिदेश'** कहा गया है तथा इसके अतिरिक्त संशोधन यदि कोई हो) के अनुसार प्राप्त हुए हैं :

'यह संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के साथ यथापठित इसके अधीन बनाई गई संबद्ध योजना, विनियम तथा अधिसूचना और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों में से निर्वाचित दो निदेशकों को एतद् द्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि वे जिस तारीख को निर्वाचित हुए/निर्वाचित माने गए, उसके अगले दिन कार्यभार ग्रहण करें तथा ऐसे कार्यभार ग्रहण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे।'

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 24.07.2017

Corporation Bank

HEAD OFFICE: MANGALA DEVI TEMPLE ROAD, MANGALURU – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on **Thursday,** the **7th September, 2017 at 10.30 a.m.** at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangaluru - 575 001, **Karnataka State** to transact the following business:

Item No. 1:

To elect TWO directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "B R Act"). The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and 47/29.39.001/2007-08 both dated 1st November, 2007 read with No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and No.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as **"RBI Notification" and further amendment thereto if any**) and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28th April, 2015 and dated 20th July, 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015 (hereinafter referred to as **"the GOI Guidelines"** and further amendment thereto if any) by passing the following Resolution:

"RESOLVED THAT two directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, 1980 read with relevant Scheme, Regulations and Notifications made thereunder and RBI Notification and GOI Guidelines, be and is hereby elected as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

Place: Mangaluru
Date: 24.07.2017

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

टिप्पणियाँ

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

बैठक की कार्रवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करने वाले व्याख्यात्मक विवरण अनुबंधित हैं।

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने हेतु बैठक प्रारंभ होने से कम-से-कम **चार दिन** पहले अर्थात् **2 सितंबर 2017** को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु-575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, असाधारण महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से कम-से-कम **चार दिन** पहले अर्थात् **2 सितंबर 2017** को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् **अपराह्न 5.00 बजे तक** या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कार्पोरेशन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

4. **पंजीकरण, उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र**

बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों की सुविधा हेतु पंजीकरण प्रक्रिया बैठक के स्थान पर **07 सितंबर, 2017** को **पूर्वाह्न 9.00 बजे** शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए काफी पहले ही बैठक में उपस्थित हो जाएं।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ खुले पन्ने के रूप में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थान पर इसे सौंप दें **और तत्पश्चात् उन्हें ई-पोल/इंस्टा पोल हेतु 'एक बारगी पासवर्ड के साथ प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।** शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'प्राक्सी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि', जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करना चाहिए।

शेयरधारक /प्रॉक्सी धारक /प्राधिकृत प्रतिनिधि यह नोट करें कि बैठक में प्रवेश यथावश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जाँच के अधीन है और उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपने पास वैध पहचान प्रमाण अर्थात् मतदाता पहचान-पत्र/नियोजक पहचान-पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड इत्यादि ले आएं।

ई-पॉल/इंस्टा पॉल के समय प्रवेश पत्र को जमा करना होगा और 'एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी)' की पर्ची को बैठक संपन्न होने तक अपने पास रखना होगा।

5. **मतदान में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कट-ऑफ तारीख**

जिन शेयरधारकों का नाम **11 अगस्त 2017** को कारोबार समय की समाप्ति पर (इसके बाद 'कट-ऑफ तारीख' कहा गया है) शेयरधारक रजिस्टर में/एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची में हिताधिकारी स्वामी के रूप में दर्शाया है, वे चुनाव में भाग लेने, अर्थात् सूचना की मद सं. 1 में उल्लिखित अनुसार केंद्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों में से दो निदेशकों के चुनाव में नामांकन करने, लड़ने और वोट/ई-वोट करने के लिए पात्र होंगे।

6. **दो शेयरधारक निदेशकों के चुनाव हेतु मताधिकार**

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार, केंद्र सरकार को छोड़कर अनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन, विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो 'ई-वोटिंग कट-ऑफ तारीख' अर्थात्, **31 अगस्त, 2017** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, उसे मतदान के ज़रिए ई-वोटिंग/वोटिंग में अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001, Karnataka State not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of **September 2, 2017.**

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extra Ordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangaluru–575 001 Karnataka State, not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of September 2, 2017**.

No person shall be appointed as an authorised representative who is an officer or an employee of Corporation Bank.

4. REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from **9.00 a.m.** on **September 07, 2017** at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is attached to this notice as loose leaf. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue **and thereafter Entry pass shall be issued to them along with One Time Password (OTP) for E-Poll/Insta Poll.** Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card/Employer Identity Card/Pan Card/Passport/Driving license/Aadhar Card, etc.

The Entry Pass shall be surrendered at the time of E-Poll/Insta Poll and slip of ‘One Time Password (OTP)’ to be retained till the conclusion of the meeting.

5. CUT-OFF DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/as Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as at the close of business hours i.e. **August 11, 2017** (hereinafter referred to as the “Cut-Off Date”) shall be entitled to participate in the election i.e. nominate and contest in the election of two directors from amongst Shareholders other than Central Government as mentioned in item no.1 of the Notice.

6. VOTING RIGHTS TO ELECT TWO SHAREHOLDER DIRECTORS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the “E-voting Cut-Off Date” i.e. **August 31, 2017** shall have one vote for each share held by him in Remote E-Voting/voting through poll.

7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है, तो वोटिंग के संबंध में, पहले नामित व्यक्ति उसका एकमात्र धारक मान लिया जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं, तो केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और वह ही बैठक में वोट डालने के लिए पात्र होगा।

8. मतदान प्रक्रिया

निदेशकों के निर्वाचन मतदान हस्त प्रदर्शन के आधार पर नहीं होगा बल्कि ई-वोटिंग/गुप्त मतदान अर्थात् इन्स्टा पॉल के ज़रिए होगा।

8 क. इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग

क) यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को असाधारण महासभा (ईजीएम) में प्रस्तावित संकल्पों को पास करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है। सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक की जगह के अतिरिक्त अन्य जगह से भी कर सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग)।

ख) इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग करने की सुविधा (इंस्टा पॉल) को बैठक के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैठक में आनेवाले सदस्य जिन्होंने रिमोट वोटिंग (इंस्टा पॉल) द्वारा वोटिंग नहीं किया है वे अपना वोट दे सकेंगे ।

ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है वे भी बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारक के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए मत देना अनिवार्य नहीं है और निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक शेयरधारक इस सुविधा का उपयोग अपने वोट देने हेतु कर सकता/सकती है /सकते हैं।

घ) बैंक ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) को नियुक्त किया है।

ङ) मतदान अधिकार की गणना ई-वोटिंग कट-ऑफ तिथि अर्थात् **31 अगस्त 2017** को सदस्य/लाभार्थी स्वामी (इलेक्ट्रानिक शेयरधारिता के मामले में) द्वारा धारित शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जायेगी जो इस शर्त के अधीन होगा कि केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य कोई शेयरधारक बैंक के कुल शेयरधारकों के मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता हेतु मताधिकार के लिए पात्र नहीं होगा।

च) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजिटरी के पास रखे लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में ई-वोटिंग कट-ऑफ तिथि अर्थात् **गुरुवार, 31 अगस्त 2017** को दर्ज होगा वही रिमोट ई-वोटिंग/इंस्टा पोल के लिए पात्र होगा।

छ) एक व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और ई-वोटिंग कट-ऑफ तिथि अर्थात् **गुरुवार, 31 अगस्त 2017** को शेयर धारण करता है वह निम्नलिखित प्रकार से यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है :
बैंक को isd@corpbank.co.in पर या शेयरधारिता के प्रमाणीकरण के साथ डाक द्वारा लिखे या कार्वि कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को ई-वोटिंग की समाप्ति के पर्याप्त पहले vlakshmi.p@karvy.com पर ई-मेल करें।

ज) रिमोट ई-वोटिंग अवधि **3 सितंबर 2017** (प्रातः10 बजे) से शुरू होकर **6 सितंबर 2017** (सायं 5.00 बजे) को समाप्त होगी तथा इस तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग कट-ऑफ तिथि,अर्थात्, **गुरुवार, 31 अगस्त 2017** को इलेक्ट्रानिक या भौतिक रूप से बैंक शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक इस अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को ब्लाक कर दिया जायेगा। यदि शेयरधारक किसी संकल्प पर अपना वोट दे देता है तब बाद में इसके परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

झ) संयुक्त धारकों के मामले में, लॉगइन आईडी/यूजर आईडी को प्रथम शेयरधारक के नाम से भेजा जायेगा। तदनुसार प्रथम शेयरधारक को भेजे गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए दिए जाने वाले मत को सभी शेयरधारकों की ओर से माना जायेगा क्योंकि कार्वी की रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए जो शेयरधारक मतदान करता है वह सभी संयुक्त शेयरधारकों की ओर से मतदान करता है। प्रथम शेयरधारक से तात्पर्य धारित शेयरों में पंजीकृत पहला नाम है।

ञ) केवल वह शेयरधारक जो मतदान करने हेतु पात्र है वहीं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान हेतु भी पात्र होगा। कोई व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार नहीं है इस सूचना को केवल सूचनार्थ समझें।

त) श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट (मेसर्स इजेडवाई लाज, मुंबई के बार काउंसिल पंजीयन सं. एमएएच/5718/2011) को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा हेतु मतपत्र-निरीक्षक नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने नियुक्ति हेतु अपनी सहमति दी है एवं इस हेतु उपलब्ध रहेंगे।

7. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

8. POLL PROCESS

The voting for election of director will not be on the basis of show of hands but shall be done by Remote E-voting/ Poll by means of a secret Ballot i.e. insta poll.

8A. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

a) In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Extra Ordinary General Meeting (EGM) by electronic means. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting').

b) The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through 'Insta Poll'.

c) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. It is hereby clarified that it is not mandatory for a shareholder to vote using the remote e-voting facility, and a shareholder may avail of the facility at his/her/their discretion, subject to compliance with the instructions prescribed below.

d) The Bank has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility.

e) Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member/beneficial owner (in case of electronic shareholding) as on the e-voting cut-off date i.e. **August 31, 2017** subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the e-voting cut-off date, i.e. **Thursday, August 31, 2017** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/Insta Poll.

g) Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the e-voting cut-off date i.e. **Thursday, August 31, 2017** may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:

   by writing to the Bank at isd@corpbank.co.in or by post with authenticated proof of shareholding or write to KARVY Computershare Pvt. Ltd. at vlakshmi.p@karvy.com, sufficiently before the closing of the remote e-voting.

h) The remote e-voting period commences on **3rd September 2017** (10:00 a.m.) and ends on **6th September 2017** (5:00 p.m.) and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the e-voting cut-off date i.e. **Thursday, August 31, 2017**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be blocked by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

i) In case of Joint holders, login ID/User ID and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of Karvy, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.

j) Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.

k) Mr. Ankur Kumar, Advocate (Bar Council Registration No. MAH/5718/2011 of M/s. Ezy Laws, Mumbai), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Insta Poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for same purpose.

थ) मतपत्र-निरीक्षक पहले बैठक में हुए मतदान के मतों की गणना करेगा (इंस्टा वोट), तत्पश्चात असाधारण महासभा की बैठक के तीन दिन के भीतर दो गवाहों जो बैंक या संगठन के कर्मचारी न हों उनके समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को अनब्लाक करेगा, अध्यक्ष को या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए गए व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं परिणाम को जारी किए जाने हेतु इस रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षरित भी करेगा ।

द) घोषित परिणाम को मतपत्र-निरीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट **www.corpbank.com** तथा कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही परिणाम का स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) को भी सूचित किया जाना चाहिए ।

ध) आवश्यक मतों के प्राप्त होने के अधीन संकल्प को बैठक की तिथि **7 सितंबर 2017** को पारित मान लिया जायेगा।

प) **रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश तथा अन्य सूचनाएँ :**

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैः

I क. यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रदाता कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ई-मेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):

i) वोटिंग के दौरान अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और '**https://evoting.karvy.com**' में नैविगेट करें।

ii) ई-मेल में/उपस्थिति पर्ची पर उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/क्लाइंट आईडी आपकी यूज़र आईडी होगी।

यूज़र- आईडी	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिएः- क) एनएसडीएल के लिएः- 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी ख) सीडीएसएल के लिएः- 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिएः- • **EVEN** उसके बाद बैंक से पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ई-मेल द्वारा भेजा है।
कैपचा	सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें।

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए **ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रोवाइडर अर्थात कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.** की टोल फ्री सं. 1800 345 4001 पर संपर्क करें।

iv) उपयुक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद ''LOGIN'' पर क्लिक करें।

v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि कर सकते हैं । आप अपने संपर्क ब्यौरों को भी अद्यतन कर सकते हैं। **इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।**

vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं, भावी ई-वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग करने के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक/कंपनी ई-वोटिंग के लिए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के ई-वोटिंग प्लैटफार्म का चयन करती है।

vii) आपको नए ब्यौरों अर्थात् पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVEN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।

ix) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' विकल्प होगा। "FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन 'FOR/AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुने।

x) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''OK'' पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।

xi) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं होगी और इसे आपके द्वारा अंतिम वोटिंग माना जाएगा।

l) The Scrutinizer shall, first count the votes cast at the meeting (insta votes), thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make, not later than three days of conclusion of the Extra Ordinary General Meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any, and submit the report to the Chairman or a person authorised by him in writing and shall countersign the same to declare the result of voting forthwith.

m) The Results declared alongwith the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website **www.corpbank.com** and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges (NSE & BSE).

n) Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. **September 7, 2017**.

o) **Instructions and other information relating to remote e-voting:**

The instructions for remote e-voting are as under:

I A. In case a shareholder receives an email from Karvy Computershare Pvt. Ltd.- the authorised e-Voting Platform provider, [for shareholders whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)]:

i) Open your web browser on your computer/on the enabled gadgets during the voting period and navigate to **https://evoting.karvy.com**

ii) Enter the login credentials (i.e., user-id & password) mentioned in the e-mail/on the Attendance Slip. Your folio/DP Client ID will be your User-ID.

User – ID	For Members holding shares in Demat Form:- a) For NSDL :- 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID b) For CDSL :- 16 digits beneficiary ID For Members holding shares in Physical Form:- • EVEN followed by Folio Number registered with the Bank.
Password	Your Unique password is forwarded through the electronic notice via email
Captcha	Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii) Please contact toll free No. 1800 345 4001 of **e-Voting Platform provider, i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd.,** for any further clarifications.

iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".

v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z).one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You may also enter the Secret Question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. You can also update your contact details. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

vi) The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank/Company opts for e-Voting through Karvy Computershare Private Limited, e-Voting Platform provider.

vii) You need to login again with the new credentials i.e. with new password etc.

viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVEN' i.e., 'Bank Name'.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding/voting right. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'.

x) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

xii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ई-मेल के ज़रिए **evoting@karvy.com** को प्रति अंकित करते हुए **evoting@ezylaws.com** पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name......EVEN" फॉर्मेट में हो। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

I ख. **यदि किसी शेयरधारक को असाधारण महासभा (ईजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं):**

i) एजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है।

EVEN (ई वोटिंग ईवेंट नंबर)

यूज़र आईडी **पासवर्ड**

ii) कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक I ए (i) से क्रमांक (xii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।

II. यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. सं. 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

III. अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IV. भावी संसूचनाएं भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्यौरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

8 ख. बैठक में मतदान

ईजीएम में मतदान चुनाव (ई- चुनाव/इंस्टा चुनाव) के जरिए किया जाएगा । ई-चुनाव/इंस्टा चुनाव टैबलेट (चुनाव उपकरण) के प्रयोग से किया जाएगा। ईजीएम में ई-चुनाव/इंस्टा चुनाव के उद्देश्य हेतु 'एक बारगी पासवर्ड' (ओटीपी) दिया जाएगा । मतों की संख्या अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अनुसार समग्र सीमा के अधीन उनके द्वारा **31 अगस्त, 2017** को धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

चुनाव उपकरण में लॉगइन करने के बाद, ईजीएम की सूचना के संकल्प के साथ मतदान स्क्रीन प्रकट होगा। शेयरधारक अपनी पसंद के उम्मीदवार (अधिकतम 2 उम्मीदवार तक) के नाम के सामने सूचना में उपयुक्त बक्से पर क्लिक करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

उसके पश्चात् मतगणना शुरू की जाएगी और बैठक के अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी।

9. शेयरधारक निदेशक के उम्मीदवार हेतु योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ

उम्मीदवार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3ए) में निर्धारित योग्यताओं का अनुपालन किया जाएगा तथा योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यताएँ उसमें नहीं होंगी तथा कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 65 तथा पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उल्लिखित शर्तों के वह पूरा करेगा।

क) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है तथा जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए इच्छुक है,

क) उसे निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो-

- कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशात्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- अन्य कोई मामला जिसका विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

xii) Institutional shareholders including body corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **evoting@ezylaws.com** with a copy marked to **evoting@karvy.com**. The file should be named in the format of "the body corporate Name------------------- EVEN ----------". The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the remote e-voting. However, in case the same do not reach scrutinizer/Karvy Computershare Pvt. Ltd., before closure of remote e-voting, the remote e-voting so exercised will be rejected in computer system.

I B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting (EGM) [for shareholders whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s) or requesting physical copy]:

i. Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the AGM:

EVEN (E- Voting Event Number)

USER ID **PASSWORD**

ii. Please follow all steps from Sl. No. IA (i) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

II. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., on Tel. No.1800 345 4001 (toll free).

III. If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

IV. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

8 B. VOTING AT THE MEETING

The voting at the EGM will be conducted by way of poll (E-Poll / Insta Poll). E-Poll / Insta Poll will be conducted with the use of Tablets (polling devices). For the purpose of E-Poll / insta poll at the EGM, members will be provided with 'One Time Password'(OTP). The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on **August 31, 2017,** subject to overall cap in terms of Section 3 (2E) of the Act.

After logging in polling devices, voting screen will appear, with the resolution forming part of the notice of the EGM. Shareholders may exercise their votes by clicking appropriate boxes against the name of the candidate of their choice (maximum upto 2 candidates) of the Notice, in the polling devices.

The counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman of the Meeting.

9. QUALIFICATIONS AND DISQUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE FOR SHAREHOLDER DIRECTOR

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, and detailed herein below:

(a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:

- agriculture and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

ख) वह जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

ग) वह कृषकों, कारीगरों तथा शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

ख) अधिनियम की धारा 9 (3एए) के अनुसार, उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनने को इच्छुक है, उसकी हैसियत 'उपयुक्त एवं उचित' होनी चाहिए।

ग) साथ ही, निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख कार्यान्वित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्टानुसार वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

10. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने हेतु अयोग्यताएँ

क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार, किसी व्यक्ति के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु निम्न कारणों से अयोग्य माना जाएगाः

क) यदि उसे किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा या प्रशमन किया हो; या

ख) यदि उसे अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस बाबत घोषणा की गई हो; या

ग) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी दण्ड न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो; या

घ) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम, 1955 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी सहयोगी बैंक के तहत अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ई) एवं (एफ) के अधीन प्रबंध निदेशक व उक्त बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के पद के सिवाय कोई लाभ अर्जक पद धारित करता है।

तथा

यदि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक(इसके बाद **''भारिबैंक अधिसूचना'' कहा गया है तथा इसके अतिरिक्त संशोधन यदि कोई हो**) की अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं. 39/29.39 .001/2016-17 दिनांकित 24 नवंबर 2016 के साथ यथापठित अधिसूचना सं.डीबी ओडी सं.बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 और सं.डीबीओडी सं.बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 1 नवंबर, 2007 तथा डीबी ओडी सं.बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई 2011 और 25 मार्च 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के साथ यथापठित भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ सं. 16/83/2013-बीओ.आई दिनांकित 03 सितंबर 2013, एफ सं. 16/51/2012-बीओ.आई दिनांकित 28 अप्रैल, 2015 और दिनांकित 20 जुलाई, 2016 (इसके बाद **'भारत सरकार दिशानिदेश'** कहा गया है तथा इसके अतिरिक्त संशोधन यदि कोई हो) के अनुसार 'उपयुक्त एवं उचित' नहीं पाया जाता है।

11. निर्वाचन में प्रतिभागिताः

केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने अर्थात् नामित करने, भाग लेने तथा मत देने हेतु ऐसे शेयरधारक पात्र होंगे जिनके नाम यथा **11 अगस्त 2017** एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सदस्य/हिताधिकारी स्वामी रजिस्टर में हैं।

केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में मतदान हेतु ऐसे शेयरधारक पात्र होंगे जिनके नाम यथा **31 अगस्त, 2017** एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सदस्य/हिताधिकारी स्वामी रजिस्टर में हैं।

12. शेयरधारकों की सूचीः

11 अगस्त 2017 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों की सूची कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का., मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य के संबोधित अनुरोध पर नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् **23 अगस्त, 2017** तक या उससे पहले कार्पोरेशन बैंक के पक्ष में मंगलूरु में देय मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ₹1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के भुगतान पर 14 अगस्त, 2017 से 23 अगस्त, 2017 तक विक्रय हेतु उपलब्ध होगी। तथापि, इच्छुक उम्मीदवार सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं तथा अपनी लागत पर उनका उद्धरण प्राप्त कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख **23 अगस्त, 2017** है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु जिसके लिए कट ऑफ दिनांक 31.08.2017 निर्धारित किया गया है, सभी शेयरधारक जिन्होंने अपेक्षित राशि अदा करते हुए यथा 11.08.2017 को बैंक के शेयरधारकों की सूची ली है, वे अतिरिक्त शुल्क की अदायगी के बिना यथा 31.08.2017 को शेयरधारकों की अद्यतन सूची प्राप्त कर सकते हैं।

सदस्यों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण हेतु बैंक के निवेशक सेवा विभाग, मंगलूरु में **14 अगस्त, 2017 से 23 अगस्त, 2017 तक** सभी कार्य दिवसों में अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक सदस्यों के रजिस्टर के किसी भाग का उद्धरण प्रत्याशी द्वारा प्राप्त करने हेतु या प्रति 1000 शब्दों या उसके भाग हेतु ₹5/- की दर से राशि के भुगतान पर संगत भाग के कंप्यूटर प्रिंटआउट के लिए बैंक से अनुरोध के उद्देश्य हेतु खुला रहेगा।

(B) represents the interests of depositors; or

(C) represents the interest of farmers, workers and artisans

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and would desire to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper status'.

(c) Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

10. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

and

If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/2007-08 and DBOD. No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 *read with No.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 of* Reserve Bank of India (hereinafter referred to as **"RBI Notification" and further amendment thereto if any**) and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28th April, 2015 and dated 20th July, 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015 (hereinafter referred to as "**the GOI Guidelines**" and further amendment thereto if any)

11. PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on **August 11, 2017** shall be entitled to participate i.e. nominate and contest in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on **August 31, 2017** shall be entitled to vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

12. LIST OF SHAREHOLDERS

A list of shareholders of the Bank as on **August 11, 2017** will be available for sale on and from August 14, 2017 till August 23, 2017, on payment of ₹1,00,000/- by means of a demand draft in favour of "CORPORATION BANK" payable at Mangaluru, along with a request addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's H.O. at Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001, Karnataka State, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz**. August 23, 2017**. However the intending candidates may also inspect the Register of Members and take extracts there from at their own cost. It may be noted that the last date for submission of nominations is **August 23, 2017**.

As per SEBI (LODR) Regulations, 2015 for providing Remote E-Voting facility to the shareholders of the Bank for which cut off date 31.08.2017 has been fixed, all those shareholders who has taken list of shareholders of the Bank as on 11.08.2017 by paying requisite amount may obtain updated list of shareholders as on 31.08.2017 without paying any additional fee.

The Register of Members will be open for inspection by the shareholders, at the Investor Services Department of the Bank at Mangaluru, on all working days commencing from **August 14, 2017 till August 23, 2017** between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on all working days for the purpose of enabling the contestant to take extracts of any part from the Register of Members or request the Bank for computer – prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of ₹5/- for every 1000 words or part thereof.

13. नामांकन

i) नामांकनों की वैधता

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 65 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं.डीबीओडी सं.बीसी सं. 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी बीसी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 और अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 तथा भारत सरकार के दिशानिदेशों तथा अधिनियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन विधिमान्य होगा बशर्तेः

(क) वह कार्पोरेशन बैंक में **11 अगस्त, 2017** को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट रूप में न्यूनतम 100 शेयर धारित करता है और उसके बाद 7 सितंबर , 2017 तक और यदि निर्वाचित होने पर उसके पश्चात् भी कम-से-कम 100 शेयर धारित रखता है।

(ख) वह नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख के बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 या कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं.डीबीओडी सं.बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 और अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 तथा भारत सरकार के दिशानिदेशों के अनुसार निदेशक बनने से अयोग्य न ठहराया गया है।

(ग) उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में शेयर मांग की बकाया राशि नहीं है।

(घ) अधिनियम के तहत निदेशकों **के निर्वाचित करने हेतु पात्र कम-से-कम एक सौ शेयरधारकों** द्वारा या उनके विधिवत् गठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में नामांकन हो, बशर्ते कि ऐसे शेयरधारक द्वारा नामांकन जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो तथा इस प्रकार के मामले में, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित संकल्प की प्रति कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु-575 001, कर्नाटक राज्य को प्रेषित की जाए तथा उस प्रति के ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।

(ङ) इस सूचना में प्रस्तुत नामांकन तथा घोषणा के नमूना प्रपत्र के अनुसार, शेयरधारकों (न्यूनतम 100) के नामांकन के साथ उम्मीदवार द्वारा घोषणा जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा इस आशय से विधिवत् हस्ताक्षरित है कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा निर्वाचन में भाग लेने में इच्छुक है तथा यह कि वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 या कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के तहत निदेशक बनने से अयोग्य नहीं हुआ है।

(च) नामांकन फार्म और घोषणा फार्म विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार हैं और संलग्न फ्रोफार्मा के अनुसार हैं (उक्त प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध है)। ई-मेल आईडी है isd@corpbank.co.in

ii) नामांकन फार्म की प्रस्तुति

निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक जो ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार योग्य हैं वे नामांकन इस प्रकार प्रस्तुत करें

(क) विनियम के अंतर्गत निर्धारित अनुसार और उपर्युक्त (घ), (ङ), (च) में उल्लिखित प्रकार उम्मीदवार से घोषणा सहित कम-से-कम 100 शेयरधारकों से सभी दृष्टियों से पूर्ण नामांकन संबद्ध सभी दस्तावेजों सहित अलग बंद लिफाफे में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य के बैठक की तारीख से कम-से-कम 14 दिन पहले कार्य दिवस अर्थात् **बुधवार, 23 अगस्त, 2017** के **अपराह्न 5.00 बजे** तक या उससे पहले प्राप्त हो।

(ख) उम्मीदवार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रोफार्मा के अनुसार वैयक्तिक सूचना, घोषणा तथा वचन-पत्र (पीडीयू फार्म) दिया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त एवं उचित हैसियत पर विचार किया जा सके तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण समस्त दस्तावेजों सहित अलग बंद लिफाफे में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूरु-575 001, कर्नाटक राज्य को नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम दिनांक से पर्याप्त समय पूर्व अर्थात् बैठक की तारीख से कम-से-कम 14 दिन पहले किसी कार्य दिवस को अर्थात् **बुधवार, 23 अगस्त, 2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक** या उससे पहले प्रेषित करना चाहिए ताकि बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों की उपयुक्त एवं उचित हैसियत संबंधी निर्णय लिया जा सके।

iii) उम्मीदवारी वापस लेनाः

उम्मीदवार नामांकन की संवीक्षा शुरू होने से पहले या 07.09.2017 के लिए निर्धारित चुनाव तारीख से दो दिन पहले पत्र या फैक्स के द्वारा अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।

13. NOMINATIONS

i) Validity of nominations

In terms of Regulation 65 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, and in terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/2007-08 and DBOD. No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011and GOI Guidelines and other applicable provisions of various Acts, Rules, Regulations and guidelines, Nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

(a) he is a shareholder holding, as on **August 11, 2017**, a minimum of 100 shares in Corporation Bank either in physical mode or in electronic/dematerialised mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till September 7, 2017 and thereafter if he was elected.

(b) as on the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified from being a director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 or the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India and GOI Guidelines from being a director.

(c) there are no calls in arrears in respect of the shares held by him.

(d) the nomination is in writing signed by **at least one hundred shareholders entitled to elect Directors** under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Company Secretary, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001, Karnataka State and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

(e) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 or the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and they are as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice.

(f) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website: www.corpbank.com). The e-mail id is isd@corpbank.co.in.

ii) Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of Directors and being qualified as per the conditions mentioned above may please submit

(a) The nominations from minimum of 100 shareholders together with a declaration from the candidate as prescribed under the Regulations and as mentioned in (d), (e), (f) above are delivered in a separate sealed envelope to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's H.O. at Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangaluru – 575 001, Karnataka State, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before **Wednesday, August 23, 2017 by 5.00 p.m.**

(b) A Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) as per Proforma provided by the Reserve Bank of India to consider fit and proper status, in a separate sealed envelope addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's H.O. at Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangaluru – 575 001, Karnataka State, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before **Wednesday, August 23, 2017 by 5.00 p.m.** i.e. sufficiently before the last date of receipt of nomination to enable the Nomination Committee of the Board of Directors of the Bank to find out fit and proper status as per the Reserve Bank of India Notification and GOI Guidelines as per detail mentioned in this Notice.

iii) Withdrawal of Candidature

The candidate may withdraw his/her candidature by sending a letter or fax on or before the Scrutiny of Nominations commences or two days before the date of election scheduled on 07.09.2017.

14. संवीक्षा तथा निदेशकों का निर्वाचन

(क) बैंक द्वारा नामांकनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित तारीख के बाद पहले कार्य दिवस, **गुरुवार, 24 अगस्त, 2017 के** नामांकनों की संवीक्षा की जाएगी तथा कोई भी नामांकन अवैध पाए जाने पर, कारण रिकार्ड करते हुए उसे अस्वीकृत किया जाएगा।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'उपयुक्त एवं उचित' दिशानिर्देश दिनांकित 1 नवंबर, 2007, 23 मई, 2011 और 24.11.2016 के अनुसार बैंक की नामांकन समिति द्वारा वैयक्तिक सूचना, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फार्म) की समुचित सावधानी जांच की जाएगी।

(ग) यदि निर्वाचन से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए केवल दो विधिमान्य नामांकन हैं, तो नामित उम्मीदवारों के उसी समय निर्वाचित माना जाएगा तथा उनके नाम और पते ऐसे निर्वाचित रूप में प्रकाशित किए जाऐंगे। ऐसे मामले में असाधारण महासभा की मद सं.1 बैठक में नहीं ली जाएगी।

(घ) निर्वाचन होने की स्थिति में, यदि दो से अधिक विधिमान्य नामांकन हैं, तो निर्वाचन में अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाऐंगे।

15 क. वर्तमान शेयरधारक निदेशकों द्वारा कार्यमुक्त होना

वर्तमान तीन शेयरधारक निदेशकों का कार्यकाल 25 अगस्त, 2017 को कार्यसमय की समाप्ति पर पूरा होता है, वे 25 अगस्त, 2017 को कार्यसमय की समाप्ति पर कार्यमुक्त माने जाएंगे।

15 ख. निदेशकों की पदावधि

वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्यों ने **26 अगस्त 2017** से कार्यभार ग्रहण किया जाना जाएगा (यदि संवीक्षा पर केवल दो वैध उम्मीदवार पाए जाते हैं। यदि संवीक्षा के बाद दो से अधिक उम्मीदवार वैध पाए जाते हैं, तो दो निदेशकों की रिक्ति बैठक की तारीख को ही भरी जाएगी और **08.09.2017** को नए निदेशक कार्यभार ग्रहण करेंगे।

योजना के खंड 9(4) के अनुसरण में, निर्वाचित निदेशक तीन वर्षो हेतु पद धारित करेंगे तथा पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होंगे, बशर्ते यह कि कोई भी ऐसा निदेशक छह वर्षों से अधिक की अवधि हेतु लगातार पद धारित नहीं करेगा।

15 ग. निदेशक को हटाना

शेयरधारकों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित तथा धारा 9 (3ए) की अपेक्षाओं के पूरा नहीं करने वाले निदेशक को हटाए जाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार संबंधी अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर आकर्षित किया जाता है।

15 घ. निर्वाचन संबंधी विवाद

इस संबंध में, विवाद, यदि कोई हो, का निपटान कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

16. पते में परिवर्तन और ई-मेल, सेलफोन, टेलिफोन नंबर आदि को अद्यतन करना

कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो निम्नलिखित पते पर बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को सूचित करें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
यूनिटः कार्पोरेशन बैंक,
कार्वी सेलेनियम टावर-बी,
प्लॉट सं. 31 व 32, फिनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
गचीबौली, नानकरामगुडा,
सेर्लिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 (तेलंगाना).
टेलिफोनः 040-67161500/67161514,
फैक्सः 040-23001153
ई-मेलः einward.ris@karvy.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन करवाने के लिए अपने-अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें।

17. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में सूचना की प्रति लाएं।

14. SCRUTINY AND ELECTION OF DIRECTORS

(a) Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Thursday** the **August 24, 2017** i.e. the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.

(b) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) shall be subjected to a Due Diligence Check by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 1st November, 2007, 23.05.2011 and 24.11.2016 issued by the Reserve Bank of India and relevant GOI Guidelines.

(c) If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event Item No.1 of the Extra Ordinary General Meeting shall not take place in the meeting.

(d) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than two, the candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be published in newspapers.

15A. PRESENT SHAREHOLDER DIRECTORS TO VACATE

The term of office of present three shareholders-directors expires at the end of office hours on 25th August, 2017. They shall be deemed to vacate office at the end of office hours on 25th August, 2017.

15B. TENURE OF OFFICE OF DIRECTORS

Directors elected to fill in an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from **26th August, 2017** (if only two valid candidates are found on scrutiny). If more than two candidates are found valid after scrutiny, then the vacancy for two Directors will be filled up on the date of the meeting and the new directors will assume office from **08.09.2017**.

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election, provided, that no such Director shall hold office continuously for a period not exceeding six years.

15C. REMOVAL OF A DIRECTOR

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the Right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

15D. ELECTION DISPUTES

Disputes, if any, in this regard, will be settled as per Regulation 67 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998.

16. CHANGE OF ADDRESS & UPDATING OF E-MAIL, CELLPHONE, TELEPHONE NUMBER ETC.

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.,
Unit: Corporation Bank,
Karvy Selenium Tower-B,
Plot Nos. 31 & 32, Financial District,
Gachibowli, Nanakramguda,
Serilingampally, Hyderabad – 500 032 (Telengana)
Phone: 040-67161500/67161514
Fax: 040-23001153
e-mail: einward.ris@karvy.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to approach their respective depository participants for effecting the change in their address.

17. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the meeting.

व्याख्यात्मक कथन

मद सं.1: दो निदेशकों का निर्वाचन

वर्तमान में, भारत सरकार को छोड़कर शेयरधारक बैंक की शेयर पूँजी का 29.24% धारित करते हैं। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण)अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार को छोड़कर) का प्रतिनिधित्व करने हेतु कार्पोरेशन बैंक अधिकतम तीन निदेशक रखने हेतु पात्र है। वर्तमान शेयरधारक निदेशक अर्थात्, श्री सुशोभन सरकार, सुश्री चित्रा गौरी लाल और श्री रमेश कुमार भट् 25.08.2017 तक निदेशक पद पर बने रहेंगे तथा 25.08.2017 के कार्यसमय की समाप्ति पर कार्यमुक्त होंगे। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र सरकार को छोड़कर शेयरधारकों द्वारा दो निदेशक निर्वाचित किए जाने चाहिए।

तदनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशकों के निर्वाचन हेतु आवश्यक संकल्प पारित करने हेतु असाधारण महासभा संबंधी सूचना की कार्यसूची में एक मद शामिल की गई है।

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार को छोड़कर) विभिन्न तथा संबद्ध अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना, जिनके संबद्ध भाग नीचे दिए गए हैं, में विस्तृत रूप से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने हेतु पात्र होंगे। दो निदेशकों को या तो शेयरधारकों द्वारा बैंक के प्रस्तुत नामांकनों की संवीक्षा के पश्चात् (यदि वैध नामांकनों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर है) या यदि अधिक प्रत्याशी हैं तो 07 सितंबर, 2017 को चुनाव में निर्वाचित किया जाएगा बशर्ते वे मामले के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त तथा अनुकूल पाए गए। ऐसे चुनाव के बाद वे **26 अगस्त 2017** से या **08 सितंबर 2017** से कार्यभार ग्रहण करेंगे और तीन वर्षों की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

विधिक प्रावधान

अधिनियम/विनियम/अधिसूचना	**प्रावधान**	**संक्षिप्त विवरण**
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1)	• साझे निदेशकों पर निषेध
	धारा 20	• अपने किसी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
	धारा 51	• अनुरूपी नए बैंक को अधिनियम की कतिपय धाराएं लागू होना
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3(2ई)	• मताधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	• शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए)(ए) से (सी)	• कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान
	धारा 9(3एए), धारा 9(3एबी)	• कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित अन्य ऐसे मानदंड के आधार पर उपयुक्त एवं उचित हैसियत का न हो।
	धारा 9(3बी)	• ऐसे निर्वाचित निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, हटाने के लिए भा.रि.बैं. का अधिकार
	धारा 13(2)	• विश्वस्तता एवं गोपनीयता के संबंध में दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980	खंड 9(4)	• निर्वाचित निदेशकों की पदावधि
	खंड 10	• बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में अयोग्यताएं
	खंड 11	• निदेशक का पदभार मुक्त होना
	खंड 11ए	• किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना
	खंड 11बी	• निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ति को भरना
	खंड 12(8)	• कतिपय व्यवस्थाओं में जिनमें निदेशक हितबद्ध हैं, उनमें उनकी हितबद्धता का प्रकटन

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 1: ELECTION OF TWO DIRECTORS

Presently, Shareholders other than Government of India hold 29.24% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, Corporation Bank is entitled to have a maximum of two shareholders representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government) as Directors on the Board of the Bank. The present Shareholder Directors namely Shri Sushobhan Sarker, Ms. Chitra Gouri Lal and Shri Ramesh Kumar Bhat, hold office of directorship till 25.08.2017 and they will vacate their offices at the end of office hours on 25.08.2017. As per the aforesaid Act, at present, two directors are required to be elected by the shareholders other than Central Government, to fill up the aforesaid vacancies.

Accordingly an item of agenda is included in the Notice for the EGM to pass necessary resolution for election of two directors representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/Scheme/Regulations/Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. Two directors will be elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nominations are equal to the number of vacancies) or in subsequent election on September 07, 2017, if there are more contestants subjected to being found fit and proper by the Nomination Committee of the Board of the Bank as the case may be. After such election, they will assume office from **August 26, 2017** or from **September 08, 2017** as the case may be and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20 Section 51	• Prohibition of common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its Directors • Applicability of certain Sections of Act to a corresponding new bank
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA), Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	• Restriction on voting rights • No. of Directors to be elected by the shareholders • Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as Director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe • Right of RBI to remove a Director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act • Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	• Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the Bank • Vacation of office of Director • Removal from office of an elected Director • Filling of vacancy in the office of elected Director • Disclosure of interest by Directors in certain arrangements in which they are interested

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 61ए विनियम 61बी विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	• संयुक्त धारकों का अधिकारों का प्रयोग • महासभाओं में मतदान • मतदान में संवीक्षक • मतदान की विधि व उसके परिणाम • महासभाओं में निर्वाचित होनेवाले निदेशक • शेयरधारकों की सूची • निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन • नामांकनों की संवीक्षा • निर्वाचन संबंधी विवाद • मताधिकारों का निर्धारण • विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान • प्रॉक्सी
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी. बीसी सं. 95/29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24 नवंबर 2016	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदंड
बैंक के निदेशक मंडल में अपने सरकार नामिती निदेशक के ज़रिए परामर्श के रूप में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. फा. सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 03.09.2013 तथा 25 मार्च 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के साथ यथापठित भारत सरकार की संदर्भ सं. एफ सं. 16/15/2012-बीओ.आई दिनांकित 28 अप्रैल, 2015 तथा दिनांकित 20 जुलाई 2016 (इसके बाद 'भारतसरकार दिशानिदेश' कहा गया है तथा इसके अतिरिक्त संशोधन यदि कोई हो) के जरिए दिशानिदेश		सर्वोच्च पारदर्शिता एवं जनहित में बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन करना, उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित' हैसियत का निर्धारण करते समय अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी दिनांक 01.06.2011 के दिशानिर्देशों तथा उसमें उल्लिखित बाद के संबंधित संशोधन को भी ध्यान में रखना।

Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 61A Regulation 61B Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Scrutineers at Poll • Manner of taking poll and result thereof • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 *and No.DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016*	Pursuant to Section 9(3AA) & Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Under-takings) Act, 1980.	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of Nationalized Banks
Office Memorandum Ref. No. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and Government of India as an Advice through its Government Nominee Directors in the Board of the Bank. And guidelines vide Reference No. F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28th April, 2015 and dated 20th July, 2016 of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non- Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015 (hereinafter referred to as "the GOI Guidelines" and further amendment thereto if any)		To elect the Shareholder Directors to discharge their duties as Directors on the Board of the Bank with greatest transparency and in public interest, in this direction the guidelines dated 01.06.2011 regarding appointment of part-time non-official Directors also be kept in mind while carrying out determination of 'fit and proper' status of the Candidates and subsequent related amendment thereto as mentioned herein.

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, (इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 (इसके पश्चात् 'योजना' कहा गया है), कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (इसके पश्चात् 'विनियम' कहा गया है) तथा अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01 नवंबर, 2007, अधिसूचना सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 और सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24 नवंबर 2016 तथा **25 मार्च 2015** को सार्वजनिक क्षेत्र के गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के साथ यथापठित भारत सरकार का **कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. फा. सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांकित 03.09.2013** तथा भारत सरकार द्वारा जारी बाद के दिशानिदेश से संबद्ध उद्धरण बैंक की वेबसाइट www. corpbank.com में दिया जाएगा। नामांकन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् **23.08.2017** को या उससे पहले कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य के संबोधित निवेदन की प्राप्ति पर इच्छुक उम्मीदवार को ये उद्धरण डाक से भेजे जाएंगे।

निदेशकों की हितबद्धता

बैंक का कोई भी निदेशक तथा चुनाव लड़ने हेतु पत्र निदेशक व्यवसाय के उपरोक्त मदों में अपनी शेयरधारिता की सीमा से अधिक हितबद्ध या संबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

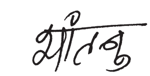

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 24.07.2017

EXTRACT OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, (hereinafter referred to as "the Act") the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") as well as Notification No. DBOD.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01st November, 2007, No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 *and No.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016* and **Office Memorandum Ref. No. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013** of Government of India read with criteria laid down by the Government for consideration as Non Official Director of Public Sector banks on **March 25, 2015** and subsequent guidelines issued by Government of India posted in the Bank's website www.corpbank.com. Such extracts will also be mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Investor Services Department at the Bank's H.O. at Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001, Karnataka State, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **23.08.2017**.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned item of business except to the extent of their shareholding and those eligible existing Shareholder Director who may contest the election.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

Place: Mangaluru
Date: 24.07.2017

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

घोषणा

(विनियमों का विनियम 65 देखें)

मैं,.. सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ...., निवासी .... फोलियो सं. ..../डीपी आईडी सं. ..../ग्राहक आईडी संख्या .... के तहत यथा **11 अगस्त, 2017** को कार्पोरेशन बैंक के (पूर्णतः प्रदत्त) ₹2/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ तथा मुझे निम्नलिखित क्षेत्रों* में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है:

i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii) बैंकिंग

iii) सहकारिता

iv) अर्थशात्र

v) वित्त

vi) विधि

vii) लघु उद्योग

viii) वाणिज्यिक प्रबंधन/जोखिम प्रबंधन/वित्त/मानव संसाधन/सूचना प्रौद्योगिकी/भुगतान और निपटान प्रणाली इत्यादि के विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान का अन्य कोई मामला जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक हेतु उपयोगी होगा अथवा बैंकिंग अधिनियम, 1980 (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) की धारा 9 की उप-धारा 3ए के अनुसार मैं जमाकर्ताओं और/या कृषकों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा/रही हूँ/इसके ऐ प्रमाण के रूप में मैं संबंधित साक्ष्य इसके साथ प्रस्तुत करता/करती हूँ और एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि

क) मैं .... से .... तक संख्यांकित नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ, और

ख) मैं कार्पोरेशन बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु खड़ा/खड़ी होने का/की इच्छुक हूँ, और

ग) मुझे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के उपबंधों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है तथा

घ) मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी समनुषंगी बैंक में न तो कोई पदधारक या लाभ के पद पर या कर्मचारी नहीं हूँ।

2. मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार उपयुक्त और उचित हैसियत हेतु विचारार्थ अलग से व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचन पत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थानः हस्ताक्षर ....

दिनांकः नाम ....

संलग्नक : यथोक्त

उपर्युक्त घोषणा श्री/श्रीमती .... द्वारा मेरे सम्मुख हस्ताक्षरित की गई।

मुहर सहित हस्ताक्षर तथा
अनुप्रमाणित करनेवाले अधिकारी का नाम

टिप्पणीः नामिती द्वारा यह घोषणा अनिवार्यतः किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, एश्योरेंस अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के सम्मुख हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

DECLARATION

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, ________________________________son/daughter/wife of Shri/Smt.__________________________________, a resident of ____ holding __________ equity shares of ₹2/- each (fully paid up) in CORPORATION BANK under Folio No. ______________________/ DP ID No.____________/Client ID No. ____________ as on **August 11, 2017** i.e., the cut-off date for participating in the election and having special knowledge or practical experience in:*

i) Agriculture and Rural Economy

ii) Banking

iii) Co-operation

iv) Economics

v) Finance

vi) Law

vii) Small Scale Industry

viii) Any other matter the special knowledge of Business Management/Risk Management/Finance/Human Resources/IT/Payment and Settlement Systems etc. and practical experience in which would in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the bank or representing the interest of Depositors and/or Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials) hereby declare that

a) I accept the nominations numbered from _________ to _________, and

b) I am willing to stand for the election as Director of Corporation Bank and

c) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and

d) I neither hold any office of profit nor an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and

2. I also submit a separate Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) as per Reserve Bank of India directives to consider for fit and proper status.

Place: Signature ___________________________

Date : Name ______________________________

Encl.: as above

The above declaration was signed before me by Shri/Smt.____

Signature with Seal and
Name of the attesting official

Note: The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Delete whichever is not applicable.

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय : मंगलूरु – 575 001

क्र.सं.

नामांकन फार्म

(विनियमों का विनियम 65(घ) देखें)

सेवा में,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय, मंगलूरु – 575 001

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपकी सूचना दिनांकित 24.07.2017 के संदर्भ में, **11 अगस्त, 2017** (जो मतदान के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट कट ऑफ तारीख है) ₹2/- प्रत्येक के (पूर्णतः प्रदत्त) .... ईक्विटी शेयर धारित करनेवाला कार्पोरेशन बैंक का एक शेयरधारक, मैं, ... **07 सितंबर, 2017** को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की असाधारण महासभा में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के उपबंधानुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्पोरेशन बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित करने हेतु एतद्वारा श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती .... निवासी .... को नामांकित करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
शेयरों की सं. ....
पंजी. फोलियो सं. ....
(यदि डीमेट न किया गया हो)
डीपी.आईडी. सं. ....
ग्राहक आईडी. सं. ....
(यदि डीमेट किया गया हो)

स्थान :
दिनांक :

टिप्पणीः

1. यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ जिस बैठक में यह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति संलग्न होनी चाहिए।
2. प्रतिनिधि को नामित करनेवाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मिलने चाहिए।
3. यदि उपरोक्त कालमों में से कोई कालम खाली छोड़ दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाए जाते हैं तो नामांकन निरस्त किया जा सकता है।

Corporation Bank

Head Office: Mangaluru – 575 001

Sl.No.

NOMINATION FORM

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To

The Managing Director & CEO
Corporation Bank
Head Office, Mangaluru – 575 001

Dear Sir,

Election of a Director

With reference to your Notice dated 24.07.2017, I ______________________________ a shareholder of Corporation Bank, holding _________ equity shares of ₹2/- each (fully paid up) as on **August 11, 2017** (being the cut-off date for participating in the election) do hereby nominate Shri/Smt. ____________ ____________________ son/daughter/wife of Shri/Smt. ______________________________ residing at ______________ ____ ______________________________________ for being elected as a Director of Corporation Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, at the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders to be held on **September 7, 2017**.

Signature ....
Name ....
No. of Shares ....
Regd. Folio No. ....
(If not Dematerialised)
DP.ID. No. ....
Client ID. No. ....
(If Dematerialised)

Place:
Date:

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फार्म)

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचन पत्र		
शेयरधारक निदेशक पद हेतु उम्मीदवारी की समर्थक सूचना		
I.	**उम्मीदवार के वैयक्तिक ब्योरे**	
1.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	पिता का नाम (पूरा नाम)	
3.	जन्मतिथि	
4.	राष्ट्रीयता	
5.	(क) स्थाई खाता संख्या (आयकर अधिनियम के तहत) (ख) आयकर सर्कल/डिविज़न का नाम व पता जहां वैयक्तिक कर विवरणियां जमा की जा रही हैं।	
6.	स्थाई पता	
7.	वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)	
8.	(1) ई-मेल आईडी	
	(2) दूरभाष संख्या (लैंडलाइन)	
	(3) सेल फोन नंबर	
II.	**योग्यता एवं अनुभव**	
1.	योग्यता (शैक्षिक/एकेडेमिक) (कृपया सूचना से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)	
2.	योग्यता (व्यावसायिक) (कृपया सूचना से संबंधित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)	
3.	ज्ञान (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3-ए) के तहत यथा अपेक्षित)	
4.	अनुभव (कृपया बैंक के निदेशक पद से संबंधित संगत अपने अनुभव का उल्लेख करें)	
5.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित संगत सूचना	
III.	**उम्मीदवार के संबंधियों के विवरण**	
1.	संबंधियों के विवरण, यदि कोई हैं, जो बैंक से किसी भी तरह से संबद्ध हैं (कंपनी (परिभाषा ब्योरे का विनिर्देश) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) का संदर्भ लें)	

(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Personal Information, Declaration and Undertaking		
Information Supporting the Candidature for Shareholder Directorship		
I.	**Personal details of the candidate**	
1.	Name in Full (in capital letters)	
2.	Father's Name (in Full)	
3.	Date of Birth	
4.	Nationality	
5.	a) Permanent Account Number (under the Income Tax Act). b) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
6.	Permanent Address	
7.	Present Address (For correspondence)	
8.	(1) E-mail ID	
	(2) Telephone Number (Landline)	
	(3) Cell Phone Number	
II.	**Qualification and Experience**	
1.	Qualifications (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
2.	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
3.	Knowledge (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980.	
4.	Experience (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
5.	Any other information relevant to Directorship of the Bank.	
III.	**Details of Relationships of the candidate**	
1.	Details of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way (Please refer to Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definition Details) Rules, 2014)	

2.	कंपनियों की सूची, यदि कोई हैं, जिनमें उसे हितबद्ध माना जा रहा है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(49) तथा धारा 184 देखें)।	
3	यदि उम्मीदवार के नाम में धारित कार्पोरेशन बैंक के कोई शेयर हैं तो उनके विवरणः (कृपया धारित शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य, बही फेलियो संख्या/संस्थाएँ या ग्राहक डीपीआईडी का उल्लेख करें।)	
4.	अ) इकाइयों की सूची जिनमें उम्मीदवार बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के आशय के अंतर्गत महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में है।	
4.	आ) इकाइयों की सूची जिनमें उम्मीदवार से संबंधित पार्टियां बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के आशय के अंतर्गत महत्वपूर्ण हितधारक रूप में है।	
5.	पूर्व में धारित बैंक (बैंकों) के निदेशक मंडल में निदेशकत्व/सदस्यता कृपया बैंक (बैंकों) का/के नाम, वे अधिनियम के संगत प्रावधानों का उल्लेख करें जिनके तहत नियुक्त/नामांकन किया गया तथा ऐसी सदस्यता/निदेशकत्व धारण की अवधि)।	
6.	उपरोक्त 3, 4 (अ) एवं 5 में सूचीबद्ध संस्थानों से उम्मीदवार द्वारा वर्तमान में उपभोग की जा रही कोई निधि या गैर-निधि सुविधाएं।	
7.	मामले, यदि कोई है, जहाँ उपरोक्त 3, 4(अ), 4(आ) तथा 5 में सूचीबद्ध उम्मीदवार या इकाईयों ने चूक की है या पिछले समय में कार्पोरेशन बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में कोई चूक की है।	
IV.	**व्यावसायिक उपलब्धियां**	
1.	व्यावसायिक उपलब्धियाँ (कृपया उपलब्धियों के विवरणों का उल्लेख करें जिनका बैंक के निदेशकत्व पर कोई प्रभाव हो सकता है)	
V.	**उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाहियां, यदि कोई हैं**	
1.	यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संघ/निकाय के सदस्य है या प्रारंभ की गई या दोष सिद्धि के परिणाम वाली अनुशासनिक कार्रवाई के विवरण, यदि कोई है या क्या उसे कभी भी कोई व्यवसाय प्रारंभ करने पर रोक लगाई गई है।	

2.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013).	
3.	Details of shares of the Corporation Bank held, if any, in the name of the candidate (Please indicate the number of shares held, face value, ledger folio number(s) or client ID).	
4.	a) List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	
4.	b) List of entities in which the related parties of the candidate are considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.	
5.	Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) held earlier (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship).	
6.	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate from the institutions listed at 3, 4(a) and 5 above.	
7.	Cases, if any, where the candidate or entities listed at 3, 4(a), 4(b) and 5 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Corporation Bank or any other bank.	
IV.	**Professional Achievements**	
1.	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank).	
V.	**Proceedings, if any, against the Candidate**	
1.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry at any profession/occupation at any time.	

2.	आर्थिक विधियों तथा विनियमों के उल्लंघन हेतु निदेशक तथा/या उपरोक्त III-2, 4(बी) तथा 5 में सूचीबद्ध किन्हीं इकाइयों के विरुद्ध विगत समय के लंबित या प्रारंभ किए गए या दोष सिद्धि के विवरण।	
3.	उम्मीदवार के विरुद्ध विगत में लंबित या प्रारंभ किए गए या दोष सिद्धि के परिणाम वाला आपराधिक मुकदमा, यदि कोई हो।	
4.	क्या उम्मीदवार/निदेशक में राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित कोई अयोग्यताएं हैं?	
5.	क्या उपरोक्त III-2, 4 (बी) तथा 5 में उल्लिखित उम्मीदवार अथवा किन्हीं इकाइयों को सरकारी विभाग या एजेन्सी की सूचना पर किसी जाँच के अधीन रखा गया है।	
6.	क्या उम्मीदवार को उत्पाद/सीमा शुल्क/आयकर/विदेश विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो विवरण दें।	
7.	क्या उम्मीदवार/निदेशक को किसी भी समय सेबी, आईआरडीए, भारतीय रिजर्व बैंक, एमसीए, फेमा आदि जैसे विनियामक से प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई है? **(यद्यपि किसी उम्मीदवार के इस कालम में विनियामकों द्वारा दिए गए ऐसे आदेशों और निष्कर्षों को उल्लिखित करना आवश्यक नहीं है, जिनका बाद में पूर्णतः प्रत्यावर्तित किया गया/हटाया गया है, फिर भी, यदि ऐसा हटाया जाना किसी योग्यता के आधार पर न होकर परिसीमा या क्षेत्राधिकार न होने जैसे तकनीकी कारणों की वजह से है, तो उसका उल्लेख करना अनिवार्य हो सकता है। यदि विनियामक का आदेश अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है और अपील/अदालती कार्यवाही लंबित है तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)**	

2.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in III 2, 4(b) and 5 above for violation of economic laws and regulations.	
3.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate including present litigation if any.	
4.	Whether the candidate/director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.	
5.	Has the candidate or any of the entities at III 2, 4(b) and 5 above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
6.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
7.	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, RBI, MCA, FEMA etc. **(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).**	

8.	क्या उम्मीदवार/निदेशक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान अथवा बैंक या कंपनियों आदि के निदेश अथवा अनुदेश पर कार्य करेगा? यदि ऐसा है तो विवरण दें।	
9.	क्या उम्मीदवार ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बैंक के साथ कोई कारोबार किया है यदि हाँ, तो विवरण दें।	
10	मद I से V के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उपयुक्त एवं उचित स्थिति का निर्णय लेने हेतु संगत समझी जाने वाली अन्य सूचना ।	

वचन-पत्र

मैं,... पुत्र ....पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सही तथा पूर्ण है। मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होनेवाली ऐसी सभी घटनाओं की पूरी जानकारी यथाशीघ्र बैंक को प्रस्तुत करूँगा जो उपर्युक्त सूचना से संबंधित है।

मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ।

स्थान :

दिनांक : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्नक :

टिप्पणीः

1. जहाँ कहीं स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया क्रम के अनुसार तथा समुचित संदर्भ के साथ अनुबंधों के रूप में सूचना संलग्न करें।
2. सभी पृष्ठों (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार को हस्ताक्षर करने चाहिए।

नामांकन समिति की टिप्पणियाँः

1. नामांकन समिति सदस्य के हस्ताक्षर स्थान : दिनांक :	2. नामांकन समिति सदस्य के हस्ताक्षर स्थान : दिनांक :	3. नामांकन समिति सदस्य के हस्ताक्षर स्थान : दिनांक :

8.	In carrying out his/her duties, will the candidate/ director be acting on the directions or instructions of any other individual or institution or bank or companies, etc. ? If so, give particulars.	
9.	Has the candidate in his/her individual capacity undertaken any business with the Bank ? If so, give particulars.	
10.	Any other explanation/information in regard to items I to V and other information considered relevant for judging 'fit and proper' status.	

Undertaking

I, ... son of ....

confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my election as a shareholder director of the bank, which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by the directors of the bank.

Place :

Date : Signature of the Candidate

Enclosures :

Note:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination Committee:

1. Signature of
   Nomination Committee Member

   Place :

   Date :

2. Signature of
   Nomination Committee Member

   Place :

   Date :

3. Signature of
   Nomination Committee Member

   Place :

   Date :

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई .... (यदि डिमैट न किया गया हो)
डीपीआईडी सं. .... ग्राहक आईडी सं. .... (यदि डिमैट किया गया हो)

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूरु – 575 001

फोर्म 'बी'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम ...., ...राज्य के .... जिले के ....का/के निवासी कार्पोरेशन बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा .... राज्य के .... जिले के निवासी श्री/श्रीमती .... को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर .... राज्य के .... जिले के निवासी श्री/श्रीमती .... के 07 सितंबर 2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूरु में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ /करते हैं ।

.... माह के .... दिन, 2017 के हस्ताक्षरित ।

कृपया पंद्रह पैसे का राजस्व स्टांप लगाए

....

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

....

प्रथम धारक/एक मात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम : ....

पता : ....

....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह ज़रूरी है कि,
   क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
   ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह सदस्य रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
   ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. प्रॉक्सी को कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार, एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गई हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
   क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
   ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति असाधारण महासभा प्रारंभ होने की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् **2 सितंबर, 2017** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **5.00 बजे** तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे का पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
9. कार्पोरेशन बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फार्म ''बी'' में न हो।

Regd. Folio No.CBE……………… (If not Dematerialised)
DPID No………………………… Client ID No……………………… (If Dematerialised)

Corporation Bank
Head Office : Mangaluru – 575 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We,____________________________________Resident of ____________ in the district of ______________ in the State of ______________ being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. ____________________ ____________ resident of __________________ in the district of __________ _________ in the State of __________________ or failing him/her, Shri/Smt._______ __________ resident of ____________ in the district of __________________ in the State of______________ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held at 10.30 a.m. on September 7, 2017, at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALURU and at any adjournment thereof.

Signed this _________ day of _________ 2017.

Please affix fifteen paisa revenue stamp

____
Signature of the Proxy

____
Signature of the first holder/sole holder
Name: ________________
Address: ________________
____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
   a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing.
   b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing.
   c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Corporation Bank.
3. The proxy together with
   a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
   b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extra Ordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **5.00 p.m. of September 2, 2017.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

टिप्पणियाँ / NOTES

कार्पोरेशन बैंक
CORPORATION BANK
प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु–575001.
Head Office: Mangala Devi Temple Road, Mangaluru-575001.

क्र.सं. Sl. No. :

असाधारण महासभा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक: 7 सितंबर, 2017 समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे स्थान : सभागृह, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूरु – 575 001.	**Date : 7th September 2017** **Time: 10.30 A. M.** **Place: Auditorium, Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangaluru-575001.**

उपस्थिति पत्रक ATTENDANCE SLIP
(प्रवेश के समय जमा किया जाए To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy/ अधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

टिप्पणी :संयुक्त धारिता के मामले में केवल प्रथम शेयरधारक को प्रवेश दिया जाएगा।
Note: Entry restricted only to the first named shareholder in case of joint holding.

…………..……………………………….
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

…………..……..……………………..……………………………………..X……..……………………………..………………………………………...

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy/ अधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

………..…………………………………
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

इलेक्ट्रानिक वोटिंग विवरण ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

इवन EVEN (ई-वोटिंग इवेंट नंबर E-VOTING EVENT NUMBER)	यूजर आई डी USER ID	पासवर्ड PASSWORD

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए । फिर भी, प्रवेश आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-entry Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/ Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

पी.एस. : बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन का वितरण नहीं किया जाएगा। कृपया बैठक में संलग्न सूचना की अपनी प्रति साथ लाएं।

P.S. : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting. Please bring your copy of the enclosed Notice for the Meeting.